मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना, बिहार।

पत्रांक–म0 / यो0–23 / 2024...2997... /   मत्स्य / पटना, दिनांक–...28/7/2025

आदेश

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के राज्यादेश संख्या–(i) 6एस०एस०(6)11 / 2020–2250 दिनांक–22.05.2025 (ii) 6एस०एस०(6)41 / 2021–2232 दिनांक–21.05.2025 (iii) 6एस०एस०(6)33 / 2022–2252 दिनांक–22.05.2025, (iv) 6एस०एस०(6)28 / 2022– 2210 दिनांक–20.05.2025, (v) 6एस०एस०(6)33 / 2022–2253 दिनांक–22.05.2025 एवं (vi) 6एस०एस० (6)28 / 2024–2202 दिनांक–20.05.2025 द्वारा कुल ₹20.00 करोड़ केन्द्रांश mother sanction राशि तथा समानुपातिक ₹13.3338 करोड़ राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹33.3338 करोड़ राशि की SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्वीकृत तथा कार्यान्वित है। उक्त स्वीकृत योजनाओं के (i) लाभुक आधारित घटक के तहत लाभार्थियों को देय अनुमान्य राशि तथा (ii) गैर लाभुक आधारित घटक के लागत राशि का 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि तथा शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा राज्यांश राशि के रूप में वहन किया जाता है। इसके लिए उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत योजनाओं में राशि का व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत केन्द्रांश राशि का विपत्र कोड–02–2405001010219 के विषयशीर्ष–0219.33.01–सब्सिडी एवं विषयशीर्ष–0219.31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतन, विपत्र कोड–02–2405007890201 के विषयशीर्ष–0201.33.01–सब्सिडी एवं विपत्र कोड–02–2405007960201 के विषयशीर्ष–0201.33.01– सब्सिडी मद में तथा समानुपातिक राज्यांश राशि का विपत्र कोड–02–2405001010319 के विषय शीर्ष–0319.33.01–सब्सिडी एवं विषयशीर्ष–0319.31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतन, विपत्र कोड–02–2405007890301 के विषयशीर्ष–0301.33.01–सब्सिडी एवं विपत्र कोड–02–2405007960301 के विषय शीर्ष–0301.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किये जाने का प्रावधान की गई है।

इसी क्रम में, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–ब०–15 / बी०एस०जी०–57 / 25 / 410 / वि० दिनांक–12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शामिल है) के सफल क्रियान्वयन से संबंधित निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार ***"Component wise (Genetal, SCSP & TSP) एक हीं HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e- Payment हेतु दावा / विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।" साथ हीं, उक्त व्यवस्था के आलोक में एक हीं HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e- payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तांतरित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना आपेक्षित है।***

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना के SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा–निदेश में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए आदेश दिया जाता है कि –

(1) बजट उपबंध –

(i) इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत लाभुक आधरित घटक के तहत् अन्य (सामान्य) श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष –0219–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत् अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0201–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405007890201 के विषय शीर्ष–0201.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(iii) इस केन्द्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत् अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन–मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0201–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405007960201 के विषय शीर्ष–0201.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित से किया जाएगा।

(iv) इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत गैर लाभुक आधरित घटक के तहत् अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की निर्धारित इकाई लागत राशि का 60:40 अनुपात में विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष –0219–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी0एम0एम0एस0वाई0) विपत्र कोड–02.2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(v) उल्लेखिनीय है कि **वित्तीय वर्ष 2020–21 (2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 को छोड़कर)** में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम एवं अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य (सामान्य) श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के लाभुकों को देय केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान (सब्सिडी) राशि का 60:40 अनुपात में विकलन विपत्र कोड–02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01–सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(2) SNA SPARSH Module में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का e- Payment–

(i). इस केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत लाभार्थियों को देय (अनुमान्य) राज्यांश राशि की सम्पूर्ण राशि को इसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश विपत्र कोड–02.2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01–सब्सिडी मद, विपत्र कोड–02.2405007890201 के विषय शीर्ष–0201.33.01–सब्सिडी मद एवं विपत्र कोड–02.2405007960201 के विषयशीर्ष–0201.33.01–सब्सिडी मद में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित राशि से क्रमशः अन्य (सामान्य) श्रेणी एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लाभुकों, अनुसूचित जातियों के लाभुकों एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए e- Payment हेतु विपत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाती है।

(ii). इसी प्रकार उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के गैर लाभुक आधारित घटक में लागत राशि में से राज्यांश का सम्पूर्ण राशि को इसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश विपत्र कोड–02.2405001010219 का विषय शीर्ष–0219.31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतन मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से e- Payment हेतु विपत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाती है।

(3) उपर्युक्त वर्णित राज्यादेशों में इस हद तक संशोधन की जाती है तथा शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

उप सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा/एस0एन0ए0 स्पर्श कोषांग)/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–मत्स्य निदेशालय के योजना शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–निदेशक, (मात्स्यिकी एवं प्रसार), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव 28/7/25

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव 28/7/25

ज्ञापांकः– म0/यो0–23/2024– 2997 /पटना–15, दिनांक–28/7/2025.

प्रतिलिपिः–विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 28/7/25